राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(15)नियम/डीएलबी/17/10852 जयपुर दिनांक 26/05/17

अधिसूचना

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 23 सपठित नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा अभियान अवधि के लिए योजनाओं में आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल योजना मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डों की नाप से मौके पर अधिक पाया जाता है तो इस प्रकार बढे हुए क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत या 100 वर्गगज जो भी कम हो, को आवंटित किये हुये भूखण्डों के मामले में प्रचलित आरक्षित दर की दुगुनी दर या वर्तमान डी.एल.सी. दर, जो भी अधिक हो, पर आवंटन/नियमन किये जाने तथा नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों के मामलो में बढे हुये क्षेत्रफल को नीलामी दर मय ब्याज राशि जमा कराने पर आवंटन/नियमन करने की शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती है।

यह छूट मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान तथा दिनांक 10.07.17 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाएं एवं रियायतें यथावत रहेगी जिसके अर्न्तगत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/17/10853-11307 जयपुर, दिनांकः 26/05/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज
09. स्थान जयपुर
10. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\5.Adhisuchna.docshahzad/Document

Scanned by CamScanner